उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार– 249404

संख्या : 178/81/06/डी0आर0/(मा0शि0)/सेवा–1/2023–24 दिनांकः 08 नवम्बर, 2024

उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग 'समूह–ग') सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) परीक्षा–2024

विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि "उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग 'समूह–ग') सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) परीक्षा–2024 के सापेक्ष योजित रिट याचिका संख्या– 2073 (एस0/एस0) ऑफ 2024, सुरेन्द्र सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश 07.11.2024 के क्रम में प्रश्नगत परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण दिनांक 01.07.2021 से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अंतरिम आदेश दिनांक 07.11.2024 के अनुपालन में **ऐसे अभ्यर्थी, जिनका जन्म 02 जुलाई 1979 के पश्चात् तथा 01 जुलाई, 2003 से पूर्व हुआ है, को आवेदन का अवसर प्रदान करते हुए आवेदन किये जाने की तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–**

ऑनलाइन आवेदन किये जाने की प्रारम्भ/विस्तारित तिथि		08 नवम्बर, 2024
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	::	14 नवम्बर, 2024 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क– Net Banking/Debit Card/ Credit Card द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि	::	14 नवम्बर,, 2024 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)

उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत परीक्षा हेतु दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

नोटः– मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त अंतरिम आदेश दिनांक 07.11.2024 के अनुपालन में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन प्रश्नगत रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

Sd/-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।